



॥ कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय), बांसवाड़ा ॥

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/ बी-1/कनि. सहायक/2018-2019/दिनांक 02.07.2020 द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 कनिष्ठ सहायक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों का बांसवाड़ा जिला आंवटन कर नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप कार्यालय स्तर पर लिपिक ग्रेड-द्वितीय (वर्तमान पदनाम कनिष्ठ सहायक) के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 08.07.2020, 09.07.2020 एवं 10.07.2020 को आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर पृष्ठांकित सूची में अंकित अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के प्रावधानानुसार कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतन श्रृंखला रिवाईज्ड पे मेटिक्स लेवल (वेतन लेवल-5) में इनके नाम के सम्मुख विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार प्रोवेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोवेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 14600/-रु. (चौदह हजार छ- सौ रुपये) प्रतिमाह (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं.08(01)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनकी कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे :-

1. इनके द्वारा अर्जित एवं इनके आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/प्रशैक्षिक/आयु/जाति/आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता/सन्देह होने की स्थिति में इस कार्यालय को प्रमाण पत्र सहित सूचित करते हुए अग्रिम आदेश तक कार्यग्रहण नहीं करावे।
2. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचरण रिपोर्ट (पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र) प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाया जाये। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिको हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का 10 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे।
4. इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करे कि उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। इनके त्रुटिपूर्ण/जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए इनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
5. सम्बन्धी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण कराने से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जावे।
6. आपके स्तर पर यह भी जाँच आवश्यक रूप से कर ली जावे कि :-
 01. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापस लौटा देवे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चिता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदको कार्यग्रहण सम्बन्धि कार्यवाही करें।
 02. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूचि में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवावे।
7. अभ्यर्थी से दहेज नहीं लिये जाने का स्व. घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
8. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
9. इन्हें कार्यग्रहण कराने से पूर्व कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक /क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे।

लगातार.....

Handwritten signature



10. टीएसपी क्षेत्र में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों के विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार की नवीनतम अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 के अनुसार जारी किये गये पर ही कार्यग्रहण करवाया जावे ।
11. एमबीसी के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक प.7(1)कार्मिक /क-2/2017 दिनांक 23.06.2019 की पालना में स्वीकृत 1 प्रतिशत पद के अतिरिक्त अति.पिछडा वर्ग को 04 प्रतिशत अतिरिक्त पद सृजित किये गये है। इस सम्बन्ध में एमबीसी याचिका संख्या 3469/2020 अकिंत घायल व अन्य बनाम सरकार राज्य में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के अन्तरित आदेश दिनांक 26.02.2020 की पालना में अति.पिछडा वर्ग(एमबीसी) के अभ्यर्थियों की नियुक्ति छायापदो (SHADOW POSTS) के विरुद्ध की जाकर उक्त आदेशो के अधधीन रहेगी।
12. अभ्यर्थी के नाम /उपनाम/विवाह सम्बन्धी शपथ पत्र /विवाह पंजीयन एवं दो से अधिक सन्तान नही होने का शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.11 एवं दिनांक 20.11.2015 की अनुपालना में पूर्ति करावे। गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिये कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.08.2005 का आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जावे।
13. कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र /नियुक्ति पत्र पर चस्पा छायाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे की अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे, जिसका आवेदन पत्र /नियुक्ति पत्र पर चस्पा छायाचित्र चस्पा है।
14. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में फिक्स रेम्युनेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षति पुर्ति भत्ता/मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन/बोनस/आदि देय नहीं होगा।
15. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में राज्य बीमा, सामन्यतः प्रावधायी निधि आदि कटौती नियमानुसार नहीं होगी।
16. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जायेगा।
17. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:-एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमनुरेशन से पेंशन अशंदान की कटौती नियमानुसार करनी होगी।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 27.07.2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। सम्बन्धित संस्थाप्रधान इन्हें शालादर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करे तथा इनके कार्यग्रहण की सूचना इस कार्यालय भिजवाने की व्यवस्था करे।

सलंगन :- सूची क्रम संख्या 01 से 04

trcc 16.7.2020

(मावजी खांट)

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय)माध्यमिक बांसवाड़ा

दिनांक:- 16.07.2020

क्रमांक:-जिशिअमु/मा/बांस/संस्था-1/फा.कनि.सहायक नियुक्ति-2018/2020/166

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर मण्डल उदयपुर।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा बांसवाड़ा।
9. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा बांसवाड़ा।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प0स0.....
11. संबंधित पीईईओ.....
12. संबंधित संस्थाप्रधान.....
13. सम्बन्धीत आशार्थी श्री.....
14. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

trcc





जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय)माध्यमिक बांसवाड़ा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक:- जिशिअमु/मा/बांस/संस्था-1/फा.कनि.स. नियुक्ति-2018/2019-2020/166 दिनांक:- 16-07-2020

कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 पदस्थापन आदेश

क्र. सं.	रोल नं.	मेरिट नं.	चयन वग	अथ्यार्थी का नाम / पिता का नाम	पता	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	अभ्यर्थी फोटो
1	1640529	21488	GEN	JITENDRA LABANA / MANNA LAL LABANA	झूंगरा छोटा, सज्जनगढ़	10-07-1993	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAWDIPADA (8280704403)	SAJJANGARH	
2	1302828	21787	GEN	GYANESH PATIDAR / JAGDISH PATIDAR	बोरी, गढ़ी	15-06-1996	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHUNTI NARJI (8281105804)	GANGADTALAI	
3	1837659	22014	GEN	ROHIT PATIDAR / BHARAT PATIDAR	राखो बागीदौरा	17-02-1998	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SARAN (8280809705)	KUSHALGARH	
4	2487419	26140	SC	VINAY KUMAR BALAI / RAMESH CHANDRA BALAI	जौलाना अस्थूना	02-10-1996	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KASARWADI (8280701611)	SAJJANGARH	

16/7/2020

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक बांसवाड़ा